बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक....................

श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर गया को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 25.04.2019 को परिवादी श्री सैयद शारिम अली से 2,00,000/– (दो लाख) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–018/2019 दिनांक 25.04.2019 धारा–7(a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज होने की सूचना निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 997 दिनांक 29.04.2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) तथा नियम–9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर गया को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.04.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबित अवधि में श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/आरोप–01–16/2019, सा०प्र०, 6200 **/पटना, दिनांक** 8.5.19

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना/श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर गया (सम्प्रति अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में संसीमित) द्वारा– अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को तामिला कराने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, गया/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 8.5.19

सरकार के अवर सचिव।

Path- D:\Pan\Ume\Sankalp.doc